न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2025(GCMS 2025/207)
(RTI No.: 2129128895 13904)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री राजाराम पुत्र रामस्वरूप निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ – 335511 (मोबाईल नम्बर : 99823–93210, 70149–98134)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

12.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजाराम स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजाराम ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजाराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 04.11.2024 से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

मुकदम नं. 54/1996 सीगा 11/14 अनवान हरिसिंह बनाम राजाराम के निर्णय दिनांक 24.01.1996 की समस्त पत्रावली की प्रमाणित नकल

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को तत्कालीन जिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा अपने पत्रांक जि.क.अ./रीडर/2024/1621 दिनांक 19.12.2024 एवं तत्पश्चात जिला अनूपगढ़ का जिला श्रीगंगानगर में पुनः सम्मिलित होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 21.03.2025, 1234 दिनांक 02.06.2025 (स्मरण पत्र–1) एवं 1534 दिनांक [illegible] (स्मरण पत्र–2) से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा [illegible] कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया [illegible] नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार – 23/2025
(GCMS No. 2025/207)

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर